

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1506 11-13 (HRD) देहरादून, दिनांक 31 मई, 2023

कार्यालय आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित WP(S/B) 706/2022 वन क्षेत्राधिकारी संघ बनाम राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.03.2023 के क्रम में उत्पन्न हुयी विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि वन क्षेत्राधिकारियों का स्थानान्तरण/तैनाती प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के स्तर से ही की जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि वन क्षेत्राधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड है।

अतः उक्त के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि किसी भी वन क्षेत्राधिकारी का स्थानान्तरण प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी क्षेत्रीय प्रभाग/संरक्षित क्षेत्र/क्रियान्वयन कार्यालय आदि में आकस्मिक आवश्यकता के अनुसार स्थानान्तरण/तैनाती किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा उचित माध्यम से प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड को भेजा जाय ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अनूप मलिक)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या 1506 11-13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई.टी. एवं आधुनिकीकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

(अनूप मलिक)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

उत्तराखण्ड।

ITGL
डा. का. का.
DCF
11/6/23